(ख) क्या मंत्रालय ने बिहार के कतिपय शहरों में पाइप द्वारा गैस की आपूर्ति हेतु कोई मार्गदर्शी-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या-क्या हैं और उन शहरों में उक्त योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी; और

(घ) क्या सरकार शहरों में पाइप द्वारा गैस की आपूर्ति को मूलभूत सुविधा के रूप में शामिल कर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता प्रदान करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2007 में सरकार ने पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना की है। पीएनजीआरबी नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण है जो एक विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (जीए)/जिले/नगर में प्राकृतिक गैस का वितरण करता है। प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की संबद्धता/प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पीएनजीआरबी सीजी नेटवर्क के विकास हेतु भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करता है। बिहार राज्य के नगरों में पाइपलाइन संबद्धता/गैस की उपलब्धता की योजना जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन (जेएचपीएल) परियोजना के विकास के साथ-साथ पहले ही बना ली गई है।

(ग) पीएनजीआरबी ने जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन (जेएचपीएल) परियोजना के विकास के साथ साथ सीजीडी नेटवर्कों का विकास करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु भावी बोली दौरों में शामिल करने के लिए बिहार में 9 जिलों/भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) अर्थात् कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, और पटना की पहचान की है।

(घ) सरकार ने बिहार सहित पूरे देश में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के रूप में घरों को तथा संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में परिवहन क्षेत्र को आपूर्ति के लिए देश में उपलब्ध सबसे सस्ती गैस, घरेलू गैस के आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्तमान में पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत जरूरत को सभी सीजीडी नेटवर्कों को एक समान आधार पर सबसे सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाकर पूरा किया जा रहा है।

Supply of gas in urban areas in Bihar

†*62. SHRI BASHISTHA NARAIN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the details of plan regarding supply of gas in urban areas in Bihar;

(b) whether the Ministry has formulated any roadmap for supply of pipeline gas in certain cities of Bihar;

† Original notice of the question was received in Hindi.

(c) if so, the names of those cities and by when the said plan would be implemented there; and

(d) whether Government would accord priority to the backward States like Bihar by including the supply of pipeline gas as a basic facility in cities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (d)A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government has established Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) under the PNGRB Act, 2006, in the year 2007. PNGRB is the statutory authority to grant authorization for the development of City Gas Distribution (CGD) network infrastructure which distributes the natural gas in a specified Geographical Area (GA)/district/city. PNGRB identifies the GAs for the development of CGD network depending on the natural gas pipeline connectivity/natural gas availability and accordingly invite bids from interested entities to develop CGD networks. The pipeline connectives/ natural gas availabilities in the cities of the State of Bihar have already been planned in synchronization with the development Jagdishpur-Haldia Gas Pipeline (JHPL) project.

(c) PNGRB has identified 9 Districts/GAs in Bihar, *viz.,* Kaimur, Rohtas, Aurangabad, Gaya, Navada, Nalanda, Shekhpura, Begusarai, and Patna for inclusion in the future biding rounds for grant of authorization to develop CGD networks in synchronization with the development of Jagdishpur-Haldia pipeline project.

Government has given the highest priority in allocation of domestic gas which is the cheapest gas available in country for supply to households in the form of Piped Natural Gas (PNG) and transport segment in the form of Compressed Natural Gas (CNG) across the country including Bihar. At present, 100% of the requirement of PNG and CNG is being met by making available the cheapest natural gas at uniform basis to all CGD networks.

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो लिखित उत्तर दिया है, मैं मंत्री जी से उस पर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने बिहार के शहरी क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति के संबंध में प्रश्न पूछा है। हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली बिहार से रिलेटेड है। बिहार के शहरों में तो किसी तरह से एलपीजी की आपूर्ति हो जाती है या लोग उसका प्रबन्ध कर लेते हैं, लेकिन बिहार की आबादी का जो नेशनल एवरेज है, प्रति हजार के हिसाब से एलपीजी के उपभोक्ता बिहार में बहुत कम हैं। आपने जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, क्या बिहार में गैस की आपूर्ति के लिए आपकी कोई विशेष योजना है अथवा बिहार के लिए स्पेसिफिकली आप कोई नई परियोजना या कोई नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सभापति जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने बिहार के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था और हमने उन्हें लिखित में इसका उत्तर दिया है।

सभापति जी, पूर्वी भारत में एलपीजी का नेटवर्क नहीं के बराबर है। हालांकि इसकी कल्पना बहुत पुरानी है, बहुत सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इसके लिए स्पेसिफिक फोकस्ड योजना शुरू की है, ताकि पूर्वी भारत में गैस ग्रिड बढ़े। बहुत जल्दी जगदीशपुर-हल्दिया ट्रॉम पाइपलाइन लगने वाली है। इसको दो-तीन औद्योगिक इकाइयों के साथ जोड़ कर देखा गया है।

गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी और दुर्गापुर के खाद कारखाने बहुत दिनों से बन्दी पड़े हुए हैं। ये जो चार खाद कारखाने हैं, अगर इनके बेसिक कंज्यूमर्स मिल जाते हैं, तो यह पाइपलाइन जल्दी लग जाएगी। इन चारों खाद कारखानों के रिवाइवल की मॉनिटरिंग खुद पीएमओ और Ministry of Chemicals and Fertilizers कर रहे हैं। हमने इसकी योजना पूरे विस्तार से बना ली है और उसके टेंडर इत्यादि का काम भी हो चुका है। जब मेजर औद्योगिक इकाई के लिए ट्रॉम पाइपलाइन लग जाएगी, तो उसके साथ-साथ जो निकट के शहर हैं, जैसे पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, इन सभी इलाकों में अपने आप ही पाइपलाइन पहुंच जाएगी।

सभापति जी, हम इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। जिस प्रकल्प के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका टेंडर करके, डोभी से पटना शहर तक स्पेयर पाइपलाइन लगाने का काम हमने शुरू कर दिया है। मूल पाइपलाइन का टेंडरिंग प्रोसेस भी पूरा कर लिया गया है। इसी बीच गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी के लिए बिडिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। सिंगल बिड होने के कारण पुनः उसको बिड करवाने की योजना बन रही है। इस प्रकार आबादी के हिसाब से, समन्वित तरीके से हम पटना और उसके आसपास के शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी या घरेलू गैस पहुंचाने का काम करेंगे।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: महोदय, हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारित किया गया है? चूंकि यह योजना बहुत पुरानी है, लेकिन इसके commencement में ही 8 वर्ष लग गए हैं। 25 जुलाई, 2015 को प्रधान मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। यह योजना तीन चरणों में पूरी होने वाली थी, लेकिन अभी तक तो सिर्फ जमीन के अधिग्रहण का काम ही चल रहा है। क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि क्या सरकार की प्राथमिकता में यह योजना होगी अथवा इस योजना का भी हश्र वही होगा? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि इसका प्रारम्भ होने में ही 8 वर्ष लग गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जमीन के अधिग्रहण और इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कोई तिथि या अवधि निर्धारित की है?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: महोदय, मैं पुनः विनम्रता के साथ माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पटना के अन्दर हमने सिर्फ शिलान्यास ही नहीं किया है, वहां पर एक कार्यालय भी खोला है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिहार सरकार के साथ मिलकर वहां पर जमीन अधिग्रहण का काम तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ डोभी से पटना तक पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। माननीय सदस्य मेरे साथ चलकर इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं कि वहां का काम कैसा चल रहा है। हमारी सरकार ने यह काम शुरू कर दिया है।

श्री राम नाथ ठाकुरः मंत्री जी ने इसकी समय सीमा नहीं बताई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे इस कार्य को कब तक पूरा कर देंगे?

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सभापति जी, हमारे देश में जनप्रतिनिधियों और सरकारों की यह परम्परा रही है कि किसी भी कार्यक्रम को चालू करने के लिए उसकी तिथि की घोषणा कर देना और फिर उसको भूल जाना, लेकिन हम उस लाइन पर नहीं हैं। हमने जमीन पर इस कार्य की शुरुआत कर दी है। मैंने पहले भी कहा कि ये तीन ...**(व्यवधान)**...

श्री राम नाथ ठाकुरः सर, यह तो भाषण हुआ, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ।

श्री सभापतिः प्लीज़, आप बैठ जाइए। पहले आप जवाब सुन लीजिए।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः महोदय, इसका राजनीतिक उत्तर भी हो सकता है। राम नाथ जी, बिहार के अन्दर यह सपना बहुत सालों से देखा जा रहा है, लेकिन जमीन के ऊपर काम करने की शुरुआत हमने की है। मैं आपको भी अपने साथ वहां पर ले चलूंगा। हमने जमीन के अन्दर पाइपलाइन डलवानी शुरू कर दी है। जो लोग अभी ठिठोली कर रहे हैं, उन्होंने तो सालों से सिर्फ इसका सपना ही दिखाया है।

श्री परवेज़ हाशमीः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि PNGRB ने 9 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किये हैं, जिनमें वह गैस की सप्लई करेगी। तो क्या EWS category के जो लोग हैं, जाकि सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, उनके बारे में उन्होंने इन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर गैस सप्लाई करने की कोई योजना तैयार कराई है या उसमें mainly सिर्फ वे लोग हैं, जिनको ऑलरेडी गैस अवेलेबल है, उन्हीं तक यह सुविधा सीमित रहेगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सभापति जी, मेरे मित्र दिल्ली में ही रहते हैं। मैंने जो बिहार के अन्दर PNG की बात कही है, यह वहां के 9 जिलों के अन्दर जायेगी। इतने जिले हैं। PNG महंगी होती है, उसकी लागत ज्यादा होती है। आपने जो Economically Weaker Sections के बारे में कहा, तो उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने परसों बजट रखा है। हमारी सरकार ने BPL category के लिए इसमें एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है, जिसका उत्तर मैं आज के चौथे प्रश्न में भी दे सकता हूं। इसलिए, हमने इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए LPG की एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की निधि से लगाने की बनायी है। उसमें जो आपकी मूल शंका है, जो मूल अपेक्षा है, उसको भी हम पूरा कर पायेंगे।

श्री हरिवंशः सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से उनके दिये गये बयान के बारे में ही जानना चाहता हूं। मई, 2015 में उन्होंने कहा था कि बिहार में LPG के तीन बॉटलिंग प्लंट्स बाँका, मुजफ्फरपुर और सहरसा में लगेंगे। इनमें 30 फीसदी गैस कनेक्टिविटी बिहार में बढ़ जाएगी। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम इससे नेपाल को भी गैस आपूर्ति कर सकने की स्थिति में होंगे। फिर, जुलाई में मंत्री जी ने कहा कि पटना से CNG पर काम शुरू होगा और इस योजना के पूरा होने में 4 वर्ष लगेंगे। क्या इस टाइमलाइन पर मंत्री जी काम कर रहे हैं और इन बॉटलिंग प्लांट्स की क्या स्थिति है?

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सर, ये दो अलग-अलग सवाल हैं।

श्री सभापतिः आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सर, यह PNG के बारे में है। उन्होंने जो मूल प्रश्न LPG के बारे में किया, तो आज चौथे नम्बर पर जो क्वेश्चन है, उसमें मैं उत्तर दे सकता हूं। लेकिन, यह जो मूल विषय उन्होंने PNG का कहा है, पटना शहर में पाइप के माध्यम से गैस पहुंचाने का, तो उसके लिए हमने जो समयावधि तय की है, उसमें हम उसको अवश्य पूरा करेंगे।

*63. प्रश्नकर्त्ता **(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)** अनुपस्थित थे।

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आई गिरावट का समस्त लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान न किया जाना

***63. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आई गिरावट का समस्त लाभ देश के उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद-शुल्क तथा अन्य करों में कितनी-कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) पेट्रोलियम पदार्थों की मूल कीमत कितनी-कितनी है तथा विभिन्न कर लगाये जाने के बाद तत्संबंधी, राज्य-वार, कीमत कितनी-कितनी है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें प्रति बैरल कितनी घटी या बढ़ी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा पेट्रोल और डीज़ल के मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26 जून 2016 और 19 अक्टूबर, 2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उनके अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा अन्य बाजार दशाओं के अनुरूप उपयुक्त निर्णय लेती हैं। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज आरएसपी का परिकलन करने के लिए व्यापार समता मूल्य निर्धारण पद्धति अपना रही हैं। पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में अन्य लागत घटक अर्थात उत्पाद शुल्क, बीएस-IV प्रीमियम, विपणन लागत और मार्जिन आदि विशिष्ट लागते है जिनमें पेट्रोल और डीज़ल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों मेंअस्थिरता से वृद्धि/कमी नहीं होती है। उत्पाद शुल्क के घटक, जो विशेष प्रकृति का है में नवम्बर, 2014 में वृद्धि हुई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया है। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए ओएमसीज़ ने मूल्य में कमी के अधिकांश हिस्से को पेट्रोल और डीज़ल के उपभोक्ताओं को प्रदान कर दिया है।

सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य को लगातार घटाती बढ़ाती रहती है और उनके बुनियादी मूल्यों में 25 जून, 2011 के बाद वृद्धि नहीं की गई है। डीबीटीएल शुरू किए जाने के बाद इसके उपभोक्ता घरेलू, एलपीजी सिलिंडर बाज़ार निर्धारित मूल्य पर प्राप्त करते हैं और एलपीजी राजसहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में किए गए संशोधन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

दिनांक	पेट्रोल (₹/ली.)	डीज़ल (₹/ली.)
फरवरी, 2013 से	9.48	3.56
12/11/2014	11.02	5.11
3/12/2014	13.34	6.14
2/1/2015	15.40	8.20
17/01/15	17.46	10.26
7/11/2015	19.06	10.66
17/12/2015	19.36	11.83
2/1/2016	19.73	13.83
16/1/2016	20.48	15.83
31/1/2016	21.48	17.33

राज्य/संघ शासित राज्य (यूटी) करों में परिवर्तनों के ब्यौरे विवरण-I (नीचे **देखिए**) में दिए गए हैं।

(ग) बुनियादी मूल्य और केन्द्र सरकार द्वारा वसूला गया उत्पाद शुल्क पूरे देश में एकसमान है। तथापि, राज्य स्तरीय वैट/बिक्री कर, स्थानीय भाड़ा/सुपुर्दगी प्रभारों/उगाहियों आदि में मुख्य रूप में परिवर्तनों के कारण अंतिम मूल्य अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग हैं। पेट्रोल, डीजल, पीडीएस, मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी का दिल्ली में वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य और करों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	पेट्रोल	डीजल	पीडीएस केरोसीन (मुम्बई में)	घरेलू एलपीजी
		₹/ली.		₹/14.2 किग्रा सिलिंडर
1	2	3	4	5
करों, डीलर कमीशन और राजसहायता/अल्प वसूली से पहले मूल्य	20.52	19.98	20.14	467.54
अल्प वसूली/उपभोक्ताओं को राजसहायता	-	-	(6.58)	(94.37)

1	2	3	4	5
सीमा शुल्क	0.36	0.36	0.00	0.00
उत्पाद शुल्क	21.48	17.33	0.00	0.00
कुल केन्द्रीय कर	21.84	17.69	0.00	0.00
राज्य कर-वैट	12.03	7.33	0.44	0.00
कुल कर	33.87	25.02	0.44	0.00
डीलर कमीशन	2.22	1.43	1.24	45.96
खुदरा बिक्री मूल्य	56.61	46.43	15.24	419.13

राज्य/संघ शासित राज्यों में पेट्रोल, डीजल (आईओसीएल के अनुसार) और घरेलू एलपीजी का मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) विवरण-III (नीचे **देखिए**) में दिया गया है।

(घ) विछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के मूल्य विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा वसूले गए बिक्री कर/वैट की प्रभावी दरों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फरवरी, 2013	फरवरी, 2016	फरवरी, 2013	फरवरी, 2016
	प्रभावी कर दर पेट्रोल (%)		प्रभावी कर दर डीज़ल (%)	
1	2	3	4	5
अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आन्ध्र प्रदेश	31.00	39.89	22.25	33.32
अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	12.50	12.50
असम	27.50	27.50	16.50	16.50
बिहार	24.50	24.50	16.00	18.00
छत्तीसगढ़	25.00	29.44	25.00	27.73
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20.00	27.00	13.19	18.81
गोवा	0.10	15.00	20.00	22.00
गुजरात	25.46	28.96	24.63	28.96
हरियाणा	21.00	26.25	9.24	17.22

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	25.00	27.00	9.60	16.00
जम्मू-कश्मीर	25.31	30.25	14.31	18.57
झारखंड	20.00	35.65	18.00	25.70
कर्णाटक	31.25	32.30	22.59	22.48
केरल	25.94	34.32	20.00	27.50
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	28.27	38.96	24.23	32.36
महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई	27.77	32.22	24.00	29.19
महाराष्ट्र - अन्य	26.75	31.31	21.00	26.20
मेघालय	18.35	19.18	11.56	13.77
मिज़ोरम	20.00	20.00	12.00	12.00
नागालैंड	21.00	24.68	12.60	14.18
ओडिशा	19.18	27.26	19.18	27.26
पंजाब	33.22	36.58	9.63	17.89
राजस्थान	26.92	33.34	17.90	26.79
सिक्किम	20.60	31.72	13.61	21.92
तमिलनाडु	27.00	27.00	21.43	21.43
तेलंगाना	शून्य	35.20	शून्य	27.00
त्रिपुरा	20.00	20.00	13.50	13.50
उत्तराखंड	25.00	36.93	18.05	23.92
उत्तर प्रदेश	26.55	35.83	17.23	24.91
पश्चिमी बंगाल	26.74	29.15	18.67	22.01
चंडीगढ़	20.02	24.77	12.53	16.43
दादरा और नगर हवेली	20.00	20.00	15.00	15.00
दमन और दीव	20.00	20.00	15.00	15.00
पुडुचेरी	15.00	15.00	14.00	14.00

विवरण-II

दिनांक 1.03.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बाजार	खुदरा बिक्री मूल्य		
		पेट्रोल ₹./ली.	डीजल ₹./ली.	घरेलू एलपीजी ₹./ली.
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	48.60	43.12	597.50
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	53.07	43.94	597.50
असम	गुवाहाटी	55.63	46.55	580.50*
बिहार	पटना	60.44	49.51	621.00
चंडीगढ़	चंडीगढ़	57.03	46.67	534.50
छत्तीसगढ़	रायपुर	57.18	49.99	581.00
गोवा	पंजिम	51.05	47.94	523.50*
गुजरात	गांधीनगर	58.30	51.10	550.00
हरियाणा	अंबाला	57.00	46.31	534.50
हिमाचल प्रदेश	शिमला	57.62	46.36	571.50
जम्मू-कश्मीर	जम्मू	59.08	47.27	564.50
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	61.59	49.29	619.50
झारखंड	रांची	60.62	48.89	595.00
कर्नाटक	बेंगलूरू	58.99	48.57	523.00
केरल	तिरुवनंतपुरम	60.30	50.45	539.00
मध्य प्रदेश	भोपाल	62.06	52.23	567.00
महाराष्ट्र	मुंबई	62.75	53.06	522.50
मणिपुर	इंफाल	52.64	44.12	677.50
मेघालय	शिलांग	53.99	45.45	575.00
मिजोरम	आइजोल	52.83	43.68	656.50
नागालैंड	कोहिमा	55.05	44.66	567.50

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	56.61	46.43	513.50
ओडिशा	भुवनेश्वर	56.28	49.96	548.00
पुडुचेरी	पुडुचेरी	53.31	46.42	525.50
पंजाब	जालंधर	61.44	46.31	561.50
राजस्थान	जयपुर	58.84	49.62	502.00
सिक्किम	गंगटोक	58.93	48.36	700.00
तमिलनाडु	चेन्नई	56.08	47.13	525.50
तेलंगाना	हैदराबाद	60.63	50.02	581.00
त्रिपुरा	अगरतला	52.43	44.01	656.00
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	63.16	50.06	553.50
उत्तराखंड	देहरादून	62.83	49.55	552.50
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	62.32	49.57	541.00

*राज्य सरकार की राजसहायता को ध्यान में रखे बगैर।

विवरण-III

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के औसत मूल्य

वर्ष	कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)	पेट्रोल	डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी
		डालर/बीबीएल			डालर/एमटी
2012-13	107.97	118.98	121.97	123.11	885.20
2013-14	105.52	114.31	119.41	118.80	880.49
2014-15	84.16	95.45	96.64	96.98	683.87
2015-16 (25.02.2016 तक)	47.23	63.06	56.30	56.84	404.05

स्रोत: पीपीएसी

*63. The Questioner **(Shri Vishambhar Prasad Nishad)** was absent.

Not passing full benefits of fall in petroleum prices to consumers

†*63. SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the full benefits of fall in the prices of petroleum

† Original notice of the question was received in Hindi.